"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 335] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 अगस्त 2013—श्रावण 10, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2013

क्रमांक 6506/डी. 228/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26-07-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 21 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक 10 सन् 1949) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्र. 10 सन् 1949), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 2 के खंड (घ-एक) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(घ-दो) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची."

धारा 3 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) धारा 3-अ में विनिर्दिष्ट अपवादों के अध्यधीन रहते हुए,—

(क) प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी या फ्रेन्चाईजी पूर्ववर्ती माहों के दौरान उपभोक्ताओं को बेची गई या प्रदाय की गई विद्युत की इकाईयों पर अनुसूची के भाग-क में विनिर्दिष्ट दरों पर संगणित किये गये शुल्क का विहित समय तथा रीति में राज्य शासन को प्रत्येक माह संदाय करेगा.

(ख) राज्य के बाहर से खुली पहुंच के माध्यम से अभिप्राप्त विद्युत का उपभोग करने वाला प्रत्येक उपभोक्ता, उसके द्वारा पूर्ववर्ती माहों के दौरान उपभोग की गई विद्युत की इकाईयों पर अनुसूची के भाग-ख में विनिर्दिष्ट दरों पर संगणित किये गये शुल्क का विहित समय तथा रीति में राज्य शासन को प्रत्येक माह संदाय करेगा.

(ग) प्रत्येक केप्टिव उत्पादन संयंत्र, उत्पादक कंपनी और उत्पादक, पूर्ववर्ती माहों के दौरान उपभोक्ताओं को बेची गई या प्रदाय की गई विद्युत की इकाईयों या उसके स्वयं के द्वारा उपभोग अथवा उपयोग की गई, यथास्थिति या संयंत्र के सहायक उपभोग या उसके कर्मचारियों को सीधे प्रदाय की गई विद्युत की इकाईयों पर अनुसूची के भाग-ग में विनिर्दिष्ट दरों पर संगणिक किये गये शुल्क का विहित समय तथा रीति में राज्य शासन को प्रत्येक माह संदाय करेंगे.

स्पष्टीकरण—

1. "केप्टिव उत्पादक संयंत्र" का वही अर्थ होगा, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 2 की उप-धारा (8) में है.

2. "वितरण अनुज्ञप्तिधारी" का वही अर्थ होगा, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की धारा 2 की उप-धारा (17) में है.

3. "फ्रेन्चाईजी (विशेषाधिकार प्राप्त)" का वही अर्थ होगा, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की धारा 2 की उप-धारा (27) में है.

4. "उत्पादन कंपनी" का वही अर्थ होगा, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की धारा 2 की उप-धारा (28) में है.

5. "खुली पहुंच" का वही अर्थ होगा, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की धारा 2 की उप-धारा (47) में है."

धारा 3-अ में संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 3-अ के खंड (सात) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(आठ) किसी विद्युत उत्पादन कंपनी, जिसमें राज्य शासन की कम से कम 26 प्रतिशत अंशधारिता हो, द्वारा उपभोग या उपयोग की गई हो अथवा राज्य शासन के स्वामित्व की वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उसके द्वारा बेची या प्रदाय की गई हो.

स्पष्टीकरण—

1. इस धारा के प्रयोजन हेतु सरकारी कंपनी द्वारा उसकी सहायक कंपनी में अंशधारिता राज्य शासन की अंशधारिता मानी जाएगी.

2. "सरकारी कंपनी" का वही अर्थ होगा, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 2 की उप-धारा (31) में है."

नई धारा 3-स का जोड़ा जाना.

5. मूल अधिनियम की धारा 3-ब के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"3-स. **अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति.—**

(1) राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना जारी कर अनुसूची में संशोधन कर सकेगा.

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जिसका प्रभाव किसी उपभोक्ता द्वारा देय विद्युत शुल्क में वृद्धि करता हो, निर्मित किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में कुल 30 दिवस की अवधि के लिए हो, जो एक ही सत्र में या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकती हो, रखी जायेगी, और यदि, उस सत्र जिसमें उक्त अवधि समाप्त हो या पूर्वोक्त उत्तरवर्ती सत्र के अवसान होने के पूर्व सदन यदि किसी प्रकार का उपांतरण करने की सहमति देता है अथवा यदि सदन सहमत होता है कि अधिसूचना, जैसी भी स्थिति हो, को जारी नहीं की जाना चाहिए, तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, अधिसूचना, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या निष्प्रभावी होगी, तथापि ऐसा कोई उपांतरण या विलोपन, अधिसूचना, के अधीन पूर्व में किये गये किसी कार्य की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा."

अनुसूची का जोड़ा जाना.

6. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"अनुसूची
(धारा 3 देखिये)

शुल्क की दरें

भाग-क
[धारा 3 (1) (अ) देखिये]

स. क्र.	उपभोक्ता की श्रेणी	उपभोग किया गया विद्युत (यूनिट में)	टैरिफ आदेश में अधिसूचित ऊर्जा प्रभारों के प्रतिशत में शुल्क की दरें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	घरेलू उपभोक्ता	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	08 प्रतिशत

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	गैर घरेलू उपभोक्ता	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	12 प्रतिशत
3.	खानें (सीमेंट उद्योगों की कैप्टिव खानों से भिन्न)	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	40 प्रतिशत
4.	सीमेंट उद्योग (जिसके अन्तर्गत उसकी कैप्टिव खानें भी हैं)	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	15 प्रतिशत
5.	25 अश्व शक्ति तक के एल टी उद्योग.	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	03 प्रतिशत
6.	25 अश्व शक्ति से ऊपर किन्तु 75 अश्व शक्ति तक के एल टी उद्योग.	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	04 प्रतिशत
7.	75 अश्व शक्ति से ऊपर किन्तु 100 अश्व शक्ति तक के एल टी उद्योग.	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	05 प्रतिशत
8.	100 अश्व शक्ति से ऊपर किन्तु 150 अश्व शक्ति तक के एल टी उद्योग.	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	06 प्रतिशत
9.	150 अश्व शक्ति से अधिक के अन्य एल टी उद्योग, जो ऊपर सम्मिलित नहीं है और 150 अश्व शक्ति तक के स्टोन क्रशर.	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	10 प्रतिशत
10.	15000 अश्व शक्ति तक के छोटे इस्पात संयंत्र, रोलिंग मिल तथा स्पंज आयरन संयंत्र.	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	06 प्रतिशत
11.	पावर लूम, आटा चक्कियां, आइल एक्सपेलर, थ्रेशर एवं कृषि प्रसंस्करण के उपयोग में आने वाली वैसी ही अन्य मशीनरी.	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	03 प्रतिशत
12.	टैक्सटाईल मिलें, वीविंग मिलें तथा स्पीनिंग मिलें.	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	10 प्रतिशत
13.	एच. टी. उद्योग सरल क्रमांक 10 को छोड़कर तथा गैर औद्योगिक जिसमें शापिंग माल सम्मिलित हैं. 150 अश्व शक्ति से ऊपर भार वाले तथा खानों के बाहर एवं उससे लगे हुए स्टोन क्रशर.	उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर	20 प्रतिशत

(1)	(2)	(3)	(4)
14.	ऐसे उपभौक्ता, जो उपरोक्त श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित प्रयोजनों के लिये अपने स्वयं के उपभोग के लिये ऊर्जा का उत्पादन करते हैं.	स्वयं के उपभोग की संपूर्ण यूनिटों पर.	शुल्क की दर की संगणना इस प्रकार की जायेगी जैसे ऊर्जा की प्रदाय राज्य की वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया है.
15.	किसी ऐसे प्रयोजन के लिये उपभोग की जानी, बेची गई या प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा, चाहे वह, यथास्थिति, वितरक या विद्युत उत्पादक की सहमति के बिना, पूर्णत: या अंशत: उपयोग में लाई जाती है.	यथास्थिति बेची गई या प्रदाय की गई या उपभोग की गई संपूर्ण यूनिटों पर.	अनुसूची की उच्चतम दर अनुसार.

भाग-ख

[धारा 3 (1) (ब) देखिये]

स. क्र.	उपभोक्ता की श्रेणी	उपभोग किया गया विद्युत (यूनिट में)	टैरिफ आदेश में अधिसूचित ऊर्जा प्रभारों के प्रतिशत में शुल्क की दरें
(1)	(2)	(3)	(4)
16.	राज्य के बाहर से खुली पहुंच के माध्यम से अभिप्राप्त विद्युत के उपभोग के लिये.	खुली पहुंच से अभिप्राप्त संपूर्ण यूनिटों पर.	शुल्क की दरें इस प्रकार संगणित की जायेंगी, जैसे कि विद्युत का प्रदाय वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया हो.

भाग-ग

[धारा 3 (1) (स) देखिये]

स. क्र.	उपभोक्ता की श्रेणी	उपभोग किया गया विद्युत (यूनिट में)	विद्युत शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	उत्पादन कंपनी, केप्टिव उत्पादक संयंत्र तथा उत्पादक द्वारा राज्य के स्वामित्व वाले वितरण तथा व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी को बेचा गया या प्रदाय किया गया विद्युत.		5 पैसे प्रति यूनिट
18.	उत्पादन कंपनी, केप्टिव उत्पादक संयंत्र तथा उत्पादक द्वारा राज्य में किसी अन्य उपभोक्ता को बेचा गया या प्रदाय किया गया विद्युत.		शुल्क की दरें उसी प्रकार होंगी, जैसे कि विद्युत का प्रदाय वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को किया गया हो.

(1)	(2)	(3)	(4)
19.	उत्पादन कंपनी, केप्टिव उत्पादक संयंत्र तथा उत्पादक द्वारा उपभोग किये गये तथा उनके सहायक उपभोग के लिये तथा उनके स्वयं के उपभोग हेतु विद्युत के लिये.		टैरिफ का 15 प्रतिशत, जो कि लागू होता, यदि विद्युत का प्रदाय वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया होता.

टीप—

1. "बिलिंग माह या माह" से अभिप्रेत है बिलिंग के प्रयोजनार्थ प्रत्येक माह बिलिंग के प्रकरण में दो क्रमवर्ती मीटरवाचन के मध्य की लगभग 30 दिवस की अवधि.

2. "खान" का वही अर्थ होगा जो खान अधिनियम 1952 (क्रमांक 36 सन् 1952) की धारा 2 के खंड (ञ) में है और उसके अंतर्गत परिसर या परिसर तथा उससे लगे हुए स्थान में स्थित वे मशीन भी शामिल हैं, जिनका उपयोग खनिज को चूरा करने, उसका प्रसंस्करण करने, उपचार करने या परिवहन करने में होता है.

3. "टैरिफ" से अभिप्रेत है ऊर्जा की दर जो विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 86 के अंतर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा अवधारित किया जाता है.

4. विद्युत शुल्क की संगणना एक मास में टैरिफ की वास्तविक प्रतिशतता के आधार पर की जायेगी और 50 पैसे या उसके अधिक के किसी भी भाग को उसके निकटतम उच्चतर रुपयों तक पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा."

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2013

क्रमांक 6506/डी. 228/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 21 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 21 of 2013)

THE CHHATTISGARH ELECTRICITY DUTY (AMENDMENT) ACT, 2013

An Act to further amend the Chhattisgarh Electricity Duty Act, 1949 (No. X of 1949).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Electricity Duty (Amendment) Act, 2013.

 (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

 (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. After clause (d-i) of Section 2 of Electricity Duty Act, 1949 (No. X of 1949) (hereinafter referred to as Principal Act), the following shall be inserted, namely :—
 "(d-ii) "Schedule" means, Schedule appended to this Act;"

Amendment of Section 3.

3. For sub-section (1) of Section 3 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :—
 "(1) Subject to the exceptions specified in Section 3-A,—

 (a) every, Distribution Licensee or Franchisee shall pay, every month to the State Government, in the prescribed time and manner, duty calculated at the rates specified in Part-A of the Schedule on the units of electricity sold or supplied to the consumer during the preceding months.

 (b) every consumer consuming electricity obtained through Open Access from outside the State, shall pay every month to the State Government, in the prescribed time and manner, duty calculated at the rates specified in Part-B of the Schedule on the units of electricity consumed during the preceding months.

 (c) every Captive Generating Plant, Generating Company and Producer shall pay every month to the State Government, in the prescribed time and manner, duty calculated at the rates specified in Part-C of the Schedule on the units of electricity consumed or used as the case may be, by it or auxiliary consumption of the plant or supplied directly to its employees or units of electricity sold or supplied to the consumers during the preceding months.

 Explanation—

 1. "Captive Generating Plant" shall have the same meaning as in sub-section (8) of Section (2) of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003).

 2. "Distribution Licensee" shall have the same meaning as in sub-section (17) of Section (2) of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003).

 3. "Franchisee" shall have the same meaning as in sub-section (27) of Section 2 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003).

4. "Generating Company" shall have the same meaning as in sub-section (28) of Section 2 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003).

5. "Open Access" shall have the same meaning as in sub-section (47) of Section (2) of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003)."

Amendment of Section 3-A.

4. After clause (vii) of Section 3-A of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :—

"(viii) Consumed or used by any generating company, in which the State Government holds at least twenty six percent equity or sold or supplied by it to a Distribution Licensee owned by the Government.

Explanation—

1. For the purpose of this Section, equity holding by a Government Company in its Subsidiary Company shall be deemed to be equity holding of the State Government.

2. "Government Company" shall have the same meaning as in sub-section (31) of Section 2 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003)."

Addition of New Section 3-C.

5. After Section 3-B of the Principal Act, the following shall be added, namely :—

"3-C. Power to amend the Schedule.—

(1) The State Government may by notification in the Official Gazette amend the Schedule.

(2) Every notification issued under sub-section (1) which has the effect of increasing the duty payable by any consumer, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature while it is in session for a total period of thirty days, which may be comprised in one session or two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session or immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the House agrees in making any modification or the House agrees that the notification should not be made, shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done there under."

Addition of Schedule.

6. After Section 9 of the Principal Act, the following shall be added, namely :—

"SCHEDULE
(See Section 3)

RATES OF DUTY

PART-A
[See Section 3 (1) (a)]

S. No.	Consumer Category	Consumed Electricity (In Unit)	Rate of Duty in percentage of energy charges notified in the tariff order
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Domestic Consumer	On all consumed units	08 percent

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Non-Domestic Consumer	On all consumed units	12 percent
3.	Mines (other than captive mines of cement industries)	On all consumed units	40 percent
4.	Cement industries (including its captive mines).	On all consumed units	15 percent
5.	LT Industries upto 25 HP	On all consumed units	03 percent
6.	LT Industries above 25 HP but upto 75 HP.	On all consumed units	04 percent
7.	LT Industries above 75 HP but upto 100 HP.	On all consumed units	05 percent
8.	LT Industries above 100 HP but upto 150 HP.	On all consumed units	06 percent
9.	Other LT Industries above 150 HP which are not included above and Stone Crushers upto 150 HP.	On all consumed units	10 percent
10.	Mini Steel Plant, Rolling Mills and Sponge Iron Plant upto 15,000 HP.	On all consumed units	06 percent
11.	Power Looms, Flour Mills, Oil expeller, thresher and similar other machinery used for agri-culural processing.	On all consumed units	03 percent
12.	Textile mills, weaving mills and spinning mills.	On all consumed units	10 percent
13.	H.T. Industrise not included in Serial No. 10 and Non Indus-trial including shopping mall. Stone Crusher having load above 150 HP and situated outside & adjacent to the mines.	On all consumed units	20 percent
14.	The consumer who generate energy for their own consum-ption for the purposes included under any of the above categories.	On own consumption units.	Rate of duty shall be as if the electrical energy is supplied by the Distribu-tion Licensee of the State.
15.	Electrical energy sold or supp-lied for consumption for any purpose is used either wholly or partly, without the consent of distributor of electrical energy or producer of electricity, as the case may be.	On all sold or supplied or comsumed units, as the case may be.	At the highest rate of the schedule.

PART-B
[See Section 3 (1) (b)]

S. No.	Consumer Gategory	Consumed Electricity (in Unit)	Rate of Duty in percentage of energy charges notified in the tariff order
(1)	(2)	(3)	(4)
16.	For Consumption of Electricity obtained through open access from outside the State.	On all the units obtained through Open Access.	The rate of duty shall be calculated as if the electricity is supplied by the Distribution Licensee.

PART-C
[See Section 3 (1) (c)]

S. No.	Consumer Gategory	Consumed Electricity (In Unit)	Rate of Duty
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Electricity sold or supplied by Generating Company, Captive Generating Plant and Producer to the State owned distribution and trading licensee.	On all sold or supplied Units	5 paise per unit
18.	Electricity sold or supplied by Generating Company, Captive Generating Plant and Producer to any other consumer in the State.	On all sold or supplied units	The rate of duty shall be same as if the electricity is supplied by the distribution licensee to that consumer.
19.	For the electricity consumed by Generating Company, Captive Generating Plant and Producer for their auxiliary consumption and for their own consumption.	On self consumed units including auxiliary consumptions.	15 percent of the tariff which woluld have been applicable if the electricity is supplied by the distribution licensee"

Note—

1. "Billing Month or Month" means a period of about thirty days between the two consecutive meter readings for the purpose of billing in the case of monthly billing.

2. "Mines" means mines as defined under clause (j) of Section 2 of the Mines Act, 1952 (No. 36 of 1952) and also includes the premises or machinery situated in and adjacent to a mine and used for crushing, processing, treating or transporting the mineral.

3. "Tariff" means the rate of energy determined by the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission under Section 86 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003).

4. The Electricity Duty shall be calculated on the basis of actual percentage of tariff in a month. As for as fraction of 50 paisa is concerned, 50 paisa and above shall be rounded off to the next higher rupee and less than 50 paisa shall be ignored.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.